COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | 2 Rs. TWO | 1 Re. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

169

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर, केम्प- सागर म०प्र०

R-347-II/03

ब्रारः

(1) श्रीचन्द्रशेखर आत्मज श्री छोटे लाल दुबे आयु 72 वर्ष, निवासी- बिहारी जी वार्ड, खुरई जिला सागर

--- रिवीजनकर्त्ता

// विरूद्ध //

(1) श्री संजय दुबे आत्मज श्री सुरेशचन्द्र दुबे आयु 32 वर्ष

(2) श्री सुरेशचन्द्र तनय श्री छोटे लाल आयु 65 वर्ष

दोनो निवासी- बिहारी जी वार्ड, खुरई तहसील खुरई जिला सागर म०प्र०

---उत्तरदातागण

रिवी॰प्र॰क्र॰ ता॰पेशी॰

16/12/02

रिवीजन अंतर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० सं॰ 1959

रिवीजनकर्त्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है:-

रिवीजनकर्त्ता श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर महोदय, सागर संभाग, सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-10-2002 अपील प्रकरण क्रमांक- 403अ॰/6 वर्ष 2001-2002 में पारित आदेश से दुखी होकर निम्न आधारों पर सम्माननीय न्यायालय के समक्ष यह रिवीजन प्रस्तुत करता है:-

क्रमांक RP 2267 ... द्वारा आज 3-3-03 को प्राप्त ... कोर्ट राजस्व मंडल ग्वालियर

a- ::- रिवीजन के संक्षिप्त तथ्य -::

1- यह कि यह राजस्व प्रकरण स्व॰ छोटे लाल दुबे की अचल सम्पत्ति काश्तकारी भूमि स्थित ग्राम निरतला व खुरई पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व॰ छोटे लाल दुबे के उत्तराधिकारी पुत्रगण रिवीजनकर्त्ता व उत्तरदाता क्रमांक-2, का नाम राजस्व पटवारी द्वारा संशोधन पंजीक्रमांक-5, पर की गई कार्यावाही पर असंतुष्ट रिवीजनकर्त्ता क्रमांक-1, द्वारा की गई कार्यावाही के आधार पर इस प्रकार है कि स्वर्गीय छोटे लाल दुबे की मृत्यु दिनांक 9-11-85 को हुई, जिसकी जानकारी दि॰29-11-85

//2//

9/3.12.06

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 347–दो/2003 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
18-1-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 मिश्रा उपस्थित. अनावेदक कमाक –1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सैन उपस्थित. अनावेदक कमांक–2 एकपक्षीय .उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये. 2. यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 403/अ–6/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 09–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है. 3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रकरण में विवादित भूमिस्वामी छोटेलाल दुबे की मृत्यु होने पर राजस्व पटवारी द्वारा ग्राम निरतला व खुरई स्थित भूमि पर संशोधन पंजी कमांक –5 पर आवेदक कमांक –1 एवं अनावेदक कमांक–2 का नाम अंकित किया गया. उक्त कार्यवाही के विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 द्वारा वर्ष 1994 को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि भूमिस्वामी जो कि उसके दादा थे, ने उसके हित में वसियत निष्पादित की थी. तथा उसके हित में वसियत की गयी वसियत के आधार पर उसका नामान्तरण किया जाये. जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा	

अनावेदक कमांक–1 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए नामान्तरण करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार की गयी. अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक'–1 द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार की गयी. अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है.

3. आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे निगरानी मेंमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया. अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे बताया कि भूमिस्वामी स्व0 छोटेलाल द्वारा जो कि अनावेदक कमांक –1 के दादा थे ने अनावेदक कमांक –1 जो कि नाबालिग था के हित में वसीयतनामा सम्पादित किया था. अनावेदक कमांक–1 के वयस्कता प्राप्त होने पर उसके द्वारा वसियत की जानकारी होने पर जानकारी के दिनांक से समयावधि में अपने नामान्तरण की कार्यवाही की थी. पटवारी द्वारा पंजी पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक–2 के नामान्तरण बिना किसी इश्तहार आदि के प्रकाशन के किया गया. तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवेदक की आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात प्रकरण में आई साक्ष्य के

आधार पर वसीयत को प्रमाणित मानकर जो आदेश पारित किया है वह न्यायोचित है जिसे अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नही की है. अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में आवेदक की सभी आपत्तियों पर विचार किया गया है. और उनका यथोचित निराकरण किया गया है । अतः निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया जाये.

4. उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं अभिलेख का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अनावेदक कमांक—1 मृत भूमिस्वामी छोटेलाल दुबे का नाती होकर उसके हित में वसीयत निष्पादित की गयी थी. तहसील न्यायालय में उसके अपनी अव्यस्कता की समाप्ति पर समयावधि में आवेदन पत्र नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया जो तहसील न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि एक बार नामान्तरण होने पर दोबारा नामान्तरण नही खोला जा सकता है. अनावेदक कमांक—1 द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया गया. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र इस आधार अपील को स्वीकार किया, यदि अनावेदक कमांक—1 नाबालिग था, तब उसके पिता को वसीयत के आधार पर कार्यवाही करना चाहिये

थी. अपर आयुक्त ने उनके समक्ष अनावेदक कमांक—1 द्वारा प्रस्तुत अपील में आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त बिन्दुओ पर विस्तार से कारण दर्शाते हुए अनावेदक कमांक—1 की अपील को स्वीकार किया गया है. जो कि न्यायोचित प्रतीत होती है. प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक—1 नाबालिग था, तथा उसके हितों का समुचित ढंग से संरक्षण नही किया गया है. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर अपने आदेश में कोई समाधान कारक निर्णय नही दिया गया है. मात्र कल्पनाओं के आधार पर एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया . ऐसे आदेश को निरस्त करनें में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा कोई त्रुटि नही की गयी है.

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एवं तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाते हैं. तदनुसार पक्षकार सूचित हों. अधीनस्थ न्यायालाय का अभिलेख वापस भेजा जाये, तदोपरान्त अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जाये।

सदस्य